संख्या- 81/2017/2170/33-3-2017-212/2017

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2017

विषय-मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को चयनित/पुरस्कृत किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पंचायत दिवस दिनांक 24 अप्रैल, 2017 के अवसर पर की गयी घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत सशक्तीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को दिये जाने वाले ''दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार '' की भाँति उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जायेगा। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 से ''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना'' के नाम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना का स्वरूप निर्धारित करते हुए निम्नवत दिशा-निर्देश निर्गत किए जा रहे है:-

(1)योजना का उद्देश्य

1- पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

2- पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।

3- उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना।

4- ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाना।

(2)योजना के मुख्य घटक

''मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार'' योजना अन्तर्गत प्रदेश के 821 विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खण्ड से 03 अर्थात कुल 2463 उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा। इस निमित्त राज्य एवं जनपद स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन कर उनकी अनुशंसा से योजना को क्रियान्वित किया जायेगा-

http://shasnadeshup.nic.in

(1) राज्य स्तरीय "राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में।

(2) जनपद स्तरीय "जनपद परफारमेंस असेसमेंट समिति- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।

"मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार" वित्तीय वर्ष में निम्न विषयों/क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों एवं यथासंभव पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिया जाएगा:-

(3) योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु विषय/क्षेत्र एवं अधिमान:- योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु निम्नलिखित विषयों एवं क्षेत्रों में कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को चयन हेतु निम्नलिखित अधिमान निर्धारित किये जा रहे हैं:-

क्र.	विषय	अधिमान
1.	ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली	15 प्रतिशत
	ग्राम पंचायत की बैठक	
	ग्राम सभा की बैठक	
	ग्राम पंचायत समितियों की बैठक	
2.	स्वच्छता	20 प्रतिशत
	खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत	
	तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	
3.	ग्राम पंचायत विकास योजना	15 प्रतिशत
	योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा की बैठक का आयोजन	
	योजना निर्माण के सभी चरणों का अनुपालन जैसे सहभागी नियोजन, समस्याओं का प्राथमिकीकरण आदि।	
	योजना का प्लान-प्लस सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना।	
	ग्राम पंचायत में वॉल-पेिन्टंग एवं फ्लैक्स बैनर की स्थापना।	
4.	विकास कार्य/नागरिक सेवायें	30 प्रतिशत
	पेयजल व्यवस्था- हैडपम्प रीबोर की संख्या	
	स्ट्रीट लाइट व्यवस्था	
	स्वच्छ आंगनबाडी	
	स्वच्छ विद्यालय	
	आंतरिक गलियॉ	
5.	ई-गर्वनेन्स	20 प्रतिशत
	एक्शन सॉफ्ट/प्रिया सॉफ्ट पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्ययोजना में	

http://shasnadeshup.nic.in

	किये गये कार्यों के सापेक्ष निष्पादन एवं व्यय की फीडिंग।	
	प्रिया सॉफ्ट पर वर्ष 2017-18 की मासिक पुस्तिका बन्द करने की स्थिति।	
	एम-एसेट पर ग्राम पंचायत में उपस्थित चल/अचल सम्पत्तियों की जियो-टैगिंग।	
	ई-डिस्ट्रिक पर निस्तारण की स्थिति।	
	कुल योग	100 प्रतिशत

योजनान्तर्गत पुरस्कृत किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों का चयन उनके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

(4) समितियों का गठन एवं दायित्व:-

(ए) जनपद परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति :- इस समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा:-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	जिलाधिकारी, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
6	जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी	सदस्य
7	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य

जनपद परफारमेंस एसेसमेंट समिति के दायित्व:-

1. जनपद की उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों के चयन हेतु रणनीति तैयार करना।
2. ग्राम पंचायतों द्वारा ऑन-लाइन भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर फ्रीज करना।
3. ग्राम पंचायतों के स्थलीय सत्यापन हेतु टीम का गठन कर स्थलीय सत्यापन कराना।
4. स्थलीय सत्यापन के पश्चात निश्चित समयावधि में ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची राज्य परफारमेंस असेसमेंट समिति को उपलब्ध कराना।
5. सचिव, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना।
6. ऑन-लाइन प्रक्रिया की जानकारी हेतु सचिव, ग्राम पंचायत का जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित कराना।
7. योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि हेतु जनपद स्तर पर पृथक से खाता खोला जाना तथा खाते का संचालन जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप में किया जाना।

http://shasnadeshup.nic.in

8. धनराशि सम्बंधी उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को निश्चित समयावधि में उपलब्ध कराना

(बी) राज्य परफारमेन्स असेसमेन्ट समिति- यह समिति निम्नवत होगी:-

क्र.सं.	पदनाम	पद
1	मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन ।	उपाध्यक्ष
3	सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
9	विशेष सचिव, 1/2/3, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य
10	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. लखनऊ।	सदस्य सचिव
11	निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
12	मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य
13	अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/उपनिदेशक, पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।	सदस्य संयोजक
14	अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के दो जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि।	सदस्य

राज्य परफारमेंस एसेसमेंट समिति के दायित्व:-

1. पुरस्कार योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से रणनीति तैयार करना।
2. जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्राम पंचायतों की सूची का परीक्षण करना।
3. जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची की ग्राम पंचायतों का यथा आवश्यकतानुसार स्थलीय सत्यापन कराना।
4. सत्यापन के पश्चात अनुमोदित सूची की ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
5. पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की अंतिम सूची को विभागीय वेब-साइट पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराना।

http://shasnadeshup.nic.in

6. मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले पुरस्कार वितरण समारोह की समय-सारिणी एवं बजट का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करना।

7. पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रयासों का दस्तावेजीकरण एवं मुद्रण कराना।

8. प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के व्यय संबंधी निर्णय लेना।

9. योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के मदवार बजट प्रस्ताव तैयार कर शासन से अनुमोदन प्राप्त करना।

10. योजना संबंधी समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेने हेतु समिति अधिकृत होगी।

(5) ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया

इस निमित्त मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ग्राम पंचायतें स्वमूल्यांकन के पश्चात् राज्य स्तर से निर्मित ऑन-लाइन प्रश्नावली को स्वयं के स्तर से निश्चित समयसीमा में भरकर पुरस्कार हेतु आवेदन करेगी। जनपद स्तर पर गठित जनपद परफारमेंस असेसमेन्ट कमेटी ग्राम पंचायतों द्वारा भरी गयी प्रश्नावली का परीक्षण कर उन्हें फ्रीज करेगी। फ्रीज करने के उपरान्त समिति द्वारा ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा जिसके लिए समिति प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या के दोगुना ग्राम पंचायतों का अवरोही क्रम में चयन करेगी। समिति द्वारा स्वयं के स्तर से टीम गठित कर स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। टीम ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर रिर्पोट समिति को प्रस्तुत करेगी तथा रिर्पोट के परीक्षण पश्चात् प्रत्येक विकास खण्ड से सर्वाधिक अंक वाली 03 ग्राम पंचायतों की सूची पुरस्कार हेतु राज्य को प्रेषित करेगी।

जनपदों से प्राप्त सूची का राज्य परफारमेंस एसेसमेंट समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यथा आवश्यकतानुसार समिति द्वारा सूची की ग्राम पंचायतों का मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) के माध्यम से स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापन के दौरान किसी ग्राम पंचायत का कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो उस ग्राम पंचायत को सूची से हटाने के लिये राज्य परफारमेंस एसेसमेंट समिति अधिकृत होगी। तत्पश्चात स्टेट परफारमेन्स असेसमेन्ट कमेटी प्रत्येक विकास खण्ड से 03 अर्थात 2,463 ग्राम पंचायतों को अनुमोदित कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(6) बजट व्यवस्था

पुरस्कार मद में बजट की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वयं की जायेगी जिसको विभिन्न मदों में व्यय किये जाने संबंधी निर्णय लिये जाने हेतु राज्य स्तरीय समिति अधिकृत होगी। प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुसार राज्य स्तरीय स्टेट परफासमेंस एसेसमेंट समिति पुरस्कृत करने हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या तथा पुरस्कार की धनराशि पर निर्णय लेने हेतु समर्थ होगी। वर्ष में उपलब्ध कुल धनराशि का 90 प्रतिशत व्यय पुरस्कार में तथा 10 प्रतिशत कार्यक्रम प्रबंधन मद में किया जायेगा। यदि पुरस्कृत की जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ती या घटती है तो अनुमोदित बजट के मदों के विभाजन पर निर्णय लेने हेतु स्टेट परफासमेंस एसेसमेंट समिति अधिकृत होगी।

http://shasnadeshup.nic.in

यथा साध्य कार्यक्रम अन्तर्गत समस्त कार्य को तय सीमा के अन्दर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक पूरे करा दिया जायेगें यदि किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में कुछ कार्य रह जाते है अथवा धनराशि शेष रह जाती है तो धनराशि आहरित कर राष्ट्रीयकृत बैंक में निदेशक, पंचायती राज के निर्वतन पर रखी जा सकेगी।

(7). पुरस्कार का स्वरूप

1- पुरस्कार धनराशि- पुरस्कार धनराशि का निर्धारण वर्ष में उपलब्ध धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

2- प्रशस्ति पत्र।

(8) पुरस्कार वितरण

चयनित ग्राम पंचायतों को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य महानुभवों की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर/मण्डल स्तर पर आयोजित पुरस्कार वितरण/ सम्मान समारोह में सम्मानित किया जायेगा। समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष के मई एवं जून माह के मध्य में किया जायेगा।

3- अत: उक्त आदेशों का कड़ाई से समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/नियोजन विभाग/वित्त विभाग, उ.प्र. शासन अथवा उनके द्वारा नामित उनका प्रतिनिधि।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।

4- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0), पंचायती राज विभाग, उ.प्र.।

6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।

7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।

9- समस्त जिला विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

10- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा नामित प्रदेश के दो जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चार प्रधान एवं पंचायती राज क्षेत्र में कार्यरत एक गैर शासकीय संगठन का प्रतिनिधि।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

http://shasnadeshup.nic.in